"Under jurisdiction of Raigarh Court only"
साउथईस्टर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
SOUTH EASTERN COAL FIELDS LIMITED
एक मिनीरत्नकंपनी-A MINIRATNA COMPANY
CIN: U10102CT1985GOI003161
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Regd. Office: SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG) 495006
Website: www.secl.gov.in

Office of the Dy.G.M.(Min)/Sub Area Manager
CHHAL SUB AREA, RAIGARH AREA
At/PO: Chhal, Distt: Raigarh
Chhatishgarh PIN -496665
Phone – 07766-277625
Fax .-07766-277629
Email- samchhalrgh@gmail.com

पत्र क्र. :– एसईसीएल / राय0 / उ0क्षे0प्र0 / छाल उपक्षेत्र / 2019 / 546 दिनांक : 07.03.2019

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला – रायगढ़ (छ.ग)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest pupose under forest conservation Act. 1980 for diversion of 185.017 Hac. of forest land for Chhal OC Seam-III Project (6MTY) of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh-regarding.**
पंजीयन क्रमांक / (FP/CG/MIN/16237/2015)

संदर्भ :– क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–222 / 2083 रायपुर, दिनांक 02.07.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से पत्र में उल्लेखित क्षेत्र 55.850 हेक्टेयर (खसरा क्र. 410 ग्राम बांधापाली) को "Deemed Forest" मानकर प्रकरण को पुनरिक्षित करने हेतु कहा गया था। तदनुसार इस क्षेत्र का DGPS सर्वे कराकर संबंधित नक्शा जमा किया जा रहा है। चूँकि उपरोक्त प्रकरण में 185.017 हेक्टेयर हेतु सभी कार्यवाहियॉ पूरी की गई थी, इसलिए 55.850 हेक्टेयर Deemed Forest का प्रकरण अलग से जमा किया जा रहा है। 55.850 हेक्टेयर प्रकरण से संबधित नक्शे इस प्रकरण (FP/CG/MIN/16237/2015) में अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड किये गये हैं। सदर प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल में दोगुने बिगड़े वन भूमि उपलब्ध करायी गई है एवं उसका भी DGPS सर्वे पूर्ण कर लिया गया है जिसका नक्शा एवं विवरण आपके कार्यालय में जमा किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि, प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेसित करें।

भवदीय,

7/3/19

उपमहाप्रबंधक(खनन) / उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल, छाल उपक्षेत्र

सादर सूचनार्थ :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध / व.सं.अ.), आरण्य भवन, अटल नगर रायुपर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)।
3. निदेशक तकनीकी (यो. / परियो.) एसईसीएल बिलासपुर।
4. मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र।